

जज अदालत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर जिला भीलवाड़ा
उनवान

गणपत सिंह पि 349 पि बनाम मेक माल पि मजीमाल सुभाष कोश
वगैरा आदमी
किस्म मुकदमा धारा 111-128 C.R.P. मु. नं. 3/ सन् 20

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
3/1/20	पत्रावली पेश हुई। वादी/ वादीगण का वाद पत्र प्रार्थी / प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 C.R.P. के तहत पेश हुआ जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रस्तुत हुआ। प्रतिवादीगण/ विपक्षीगण को सम्मन मय नकल जारी हो। पत्रावली बाद तामिल तकमील वास्ते जवाब प्रतिवादीगण/ विपक्षीगण दिनांक 4/3/20 को पेश हो।	
4/3/20	<p style="text-align: center;">सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर</p> <p>पत्रावली पेश हुई प्रार्थी आधिकारिक उपरजित विपक्षी संख्या 1, 4, 5 उपरजित विपक्षी संख्या 2-3 कावजूद सूचना के उपरजित नहीं होने से उनके विरुद्ध एक नए कार्यवाही का निर्देश किया गया, प्रार्थी आदि. ने आदेश के विरुद्ध अपील की विपक्षीगणों के कोई आपत्ती नहीं है प्रार्थीगण आपत्ती प्रति का सीमांक कारनामा यह है</p> <p>मेने आधिकारिक भी सदर सूची तथा पत्रावली के उपलब्ध रेकार्ड का इन्तजाम किया है, पाया कि प्रार्थी गण गण मिशोरपुर तथा आदमी के खातेदार हैं और आपत्ती प्रति का सीमांक कारनामा यह है जिसमें कोई आपत्ती शक नहीं है</p> <p style="text-align: right;">P.T.O</p>	<p style="text-align: right;">[Signature]</p> <p style="text-align: right;">[Signature]</p>

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
प्र.सं 3/20 (2020/00003)

नम्बर व तारी
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

आदेश

आज्ञा: प्राचीन काल प्रकृत प्राचीन पर कर्म
धारा 128 L.P. Act स्वीकार कर आदेश दिया
जाता है कि ग्राम किशोरपुर भी आ.न. 296
रकबा 0.49 है, ग्राम आरुणा के आ.न.
25 रकबा 0.60 है मा. रीमास शुल्क 300 RS
राजकोष में न्या कमीशनर लिख के 500 RS
जमा कराने पर प्राचीन को स्वीकार कराना
जावे, पालनार्थ लक्ष्मील दार राधपुर को प्रमाण
जारी हो पञ्जावली फेसल शुभार होकर गन्ध
से कर ले।

4.3.2020
(सुन्दरलाल बरकोड)
RAS

सहायक कलक्टर (उपखण्ड आयकार)
रायपुर (सीलवाडा)

